समक्ष ए एल बहरी, न्यायमूर्ति डॉ. शाम लाल,-याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता सिविल रिट याचिका 1986 की संख्या 2237 8 जनवरी, 1991

पंजाब आयुर्वेद, विभाग (कक्षा । और ॥) सेवा नियम 1963 हरियाणा राज्य द्वारा 1975 में संशोधित -परिशिष्ट 'ए'-पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली संकाय अधिनियम, 1963-धारा 21-निदेशक, आयुर्वेद के पद पर नियुक्ति- इस आधार पर चुनौती दें कि नियुक्त व्यक्ति के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है जो कि पंजाब संकाय-राज्य संकाय द्वारा 1961 में अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई है और अप्रैल, 1960 से प्रभावी परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अधिकृत है-अधिनियम, हालांकि, 1963 में लागू हो रहा है-अधिनियम की धारा 21 (2) द्वारा मान्य संक्रमणकालीन अवधि के दौरान प्राप्त डिग्री-इस तरह से प्रदान की गई डिग्री मान्य है और चुनौती से मुक्त है-1960 से पहले, परीक्षक बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं-संकाय को बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आधार पर डिग्री जारी करने का अधिकार था-संकाय के गठन से पहले बिताए गए अध्ययन की अवधि को पांच साल की गणना के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक था जी. ए. एम. एस.-नियुक्ति का पाठ्यक्रम, इसलिए, आयुर्वेद के निदेशक के पद पर रहने के लिए योग्य थापदों का विज्ञापन-पदों का विज्ञापन-आवेदन आमंत्रित करने के बाद, केंद्र सरकार ने पात्र उम्मीदवारों के नामों का पैनल भेजने के लिए संपर्क किया-कार्रवाई अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है-पद के लिए आवश्यक सात साल का प्रशासनिक अनुभव-भले ही नियुक्ति में प्रशासनिक अनुभव की कमी हो, नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियुक्ति के बाद की अविध के दौरान, नियुक्त व्यक्ति ने आवश्यक अनुभव प्राप्त किया है-नियम जिसके लिए संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता होती है मध्यमा (बनारस) या विशारद (पंजाब) या इसके समकक्ष योग्यता-नियम यह नहीं कहता है कि व्यक्ति के पास उल्लिखित डिग्री या इसके समकक्ष में से कोई एक होना चाहिए-नियम के लिए एक मानक निर्धारित करके संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता होती है-बी ए भाग । में संस्कृत का अध्ययन करने वाले नियुक्ति को मध्यमा (बनारस) या विशारद (पंजाब) के बराबर नहीं बनाया गया है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संकाय का औपचारिक रूप से जनवरी, 1961 में अधिसूचना द्वारा गठन किया गया था और अप्रैल, 1960 से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। 1963 में अधिनियम के लागू होने के बाद से, एक संक्रमणकालीन अविध थी जिसके लिए संकाय परीक्षाएं आयोजित कर रहा था और डिग्री जारी कर रहा था जिन्हें क़ानून द्वारा मान्य किया गया था।

उस अविध से पहले, परीक्षक मंडल परीक्षाएं आयोजित कर रहा था और अप्रैल, 1960 के बाद परीक्षक मंडल द्वारा ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। नवंबर, 1960 में संकाय द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। भले ही संकाय ने बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर डिग्री जारी की हो, कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। अंतिम परीक्षा संकाय द्वारा आयोजित की गई थी और जी ए एम एस की डिग्री जारी की गई थी। जी. ए. एम. एस. के पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम पर विचार करते समय उस अवधि को ध्यान में रखा जाना था जिसके लिए डॉ. पी. के. जैन और अन्य ने संकाय के गठन से पहले अध्ययन किया था। (पैरा 5)

अभिनिर्धारित किया गया कि जब संकाय ने जी ए एम एस, 5-वर्षीय पाठ्यक्रम की डिग्री जारी की थी, तो किस डिग्री को अधिनियम की धारा 21 के तहत मान्य माना जाता है, इसकी वैधता को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधि के संचालन द्वारा, संकाय द्वारा जारी की गई डिग्री को वैध के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस डिग्री को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दी गई है, इसलिए इसे वैध माना जाना चाहिए। केवल निर्धारित अविध के भीतर आवेदन जमा करने से व्यक्तियों को इस तरह से नियुक्त होने का अधिकार नहीं मिलता है, आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद भी केंद्र सरकार से योग्य उम्मीदवारों के नामों का पैनल भेजने के लिए संपर्क किया गया था, ऐसा करने की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं थी।

(पैरा 8)

उन्होंने आगे कहा कि भले ही नियुक्त व्यक्ति में अनुभव के मामले में कुछ हद तक कमी थी, लेकिन उनकी नियुक्ति को अब आयुर्वेद के निदेशक के रूप में रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस अवधि के दौरान उन्होंने आवश्यक अनुभव हासिल किया है। (पैरा 9)

पंजाब आयुर्वेद विभाग (कक्षा । और ॥) सेवा नियम, 1963 के तहत हरियाणा राज्य द्वारा 1975 में संशोधित संस्कृत का ज्ञान कम से कम मध्यमा (बनारस) या विशारद (पंजाब) या इसके समकक्ष योग्यता तक होना आवश्यक है। नियम में यह नहीं कहा गया है कि व्यक्ति के पास ऊपर उल्लिखित डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। आवश्यकता संस्कृत का ज्ञान है और मानक निर्धारित किया गया है। इसका कोई परिणाम नहीं है कि संस्कृत विषय के साथ भाग-1 को मध्यमा (बनारस) या विशारद के बराबर नहीं बनाया गया है (पंजाब).

डॉ. पी. के. जैन ने संस्कृत के साथ बी. ए. पार्ट । पास करने के अलावा जी. ए. एम. एस. पाठ्यक्रम में दो साल तक संस्कृत का भी अध्ययन किया था। पुनः यह कहा जा सकता है कि यह नियुक्ति प्राधिकरण का दायित्व था कि वह डॉ. पी. के. जैन के पास मौजूद ज्ञान को मध्यम (बनारस) या विशारद (पंजाब) के मानक या इसके समकक्ष योग्यता के लिए पर्याप्त माने। अदालतें ऐसे मामलों में अपील नहीं कर सकतीं।

(पैरा 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत संशोधित याचिका में अनुरोध किया गया है किः -

(ए) निदेशक, आयुर्वेद, हरियाणा के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 3 के चयन और नियुक्ति को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट निर्देश या आदेश जारी करना-अनुलग्नक 'पी-15 के माध्यम से; (बी) मंडमस की प्रकृति में एक रिट जारी करना, उत्तरदाताओं को अन्य योग्य उम्मीदवारों में से निदेशक के रूप में नियुक्ति करने का निर्देश देना, जिनका उक्त पद के लिए चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया गया थाः (सी) प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ क्वो-वारंट की प्रकृति में एक रिट जारी करना कि वह कैसे चयनित होने और निदेशक के पद पर रहने के योग्य है। आयुर्वेद जब उसके पास पद के लिए वैधानिक योग्यता नहीं है; (घ) 'पी-15' के लिए अनुलग्नक 'पी1' की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना और उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी करना; (ङ) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को दिया जाए।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 3 की निदेशक के रूप में नियुक्ति की जाए। आयुर्वेद और उनके कार्यभार संभालने पर रोक लगाई जा सकती है।

या कोई अन्य राहत जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है, प्रदान की जाए। Dr. Sham Lai v. State of Haryana and. others (A. L. Bahri, J.)

सी एम संख्या 2934/86

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय रिट अधिकारिता नियम, 1916 के नियम 29 के साथ पठित धारा 151 सी. पी. सी. के अधीन आवेदन प्रार्थना करते हुए कि इस आवेदन की अनुमति दी जाए और प्रतिकृति के उत्तर को उपर्युक्त मामले के अभिलेख पर रखने का आदेश दिया जाए।

सी एम संख्या 4826/88

उच्च न्यायालय नियम और आदेश के नियम 8 अध्याय 4 एफ. बी. खंड 5 के अधीन आवेदन, जिसे धारा 151 सी. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रार्थना करते हुए कि मामले के उचित और न्यायसंगत निर्णय के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के शपथपत्र के साथ दिए गए उत्तर को कृपया अभिलेख पर रखने की अनुमति दी जा सकती है।

सी एम संख्या 12803/88

धारा 151 सी. पी. सी. के अधीन आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि संलग्न दस्तावेज को अभिलेख पर रखने का आदेश दिया जाए।

सी एम संख्या 14693/89

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन यह प्रार्थना करता है कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है और अनुलग्नक पी-30 और पी-31 के रूप में पढ़ा जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से परमजीत सिंह पटवालिया, अधिवक्ता

एस सी मोहंता, ए जी (हरियाणा) प्रतिवादी नंबर 1 के लिए डी डी वास्देव, जिला अटॉर्नी के साथ (हरियाणा)

दीपक अग्निहोत्री और गिरीश अग्निहोत्री, अधिवक्ताओं के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जगन नाथ कौशल।

निर्णय

ए एल बहरी, जे

- (1) इस निर्णय के माध्यम से 1986 की दो सिविल रिट याचिका संख्या 3287 और 1986 की 2237 का निपटारा किया जा रहा है। चूंकि डॉ. शाम लाल ने बाद की रिट याचिका दायर की थी, इसलिए उसी से तथ्य लिए गए हैं।
- (2) दोनों रिट याचिकाओं में चुनौती निदेशक, आयुर्वेद के पद पर डॉ. पी. के. जैन, प्रत्यर्थी की नियुक्ति के लिए है, प्रति-

वारंट की एक रिट प्रत्यर्थी संख्या 3 को कार्यालय खाली करने का निर्देश देती है और मैंडमस की रिट हरियाणा राज्य, प्रत्यर्थी संख्या 1 को अन्य योग्य उम्मीदवारों से निदेशक के पद पर नियुक्ति करने का निर्देश देती है।

- (3) निदेशक, आयुर्वेद, हरियाणा के पद पर भर्ती संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित है, जिसे पंजाब आयुर्वेद विभाग (कक्षा । और ॥) सेवा नियम, 1963 के रूप में जाना जाता है, जैसा कि 1975 में हरियाणा राज्य द्वारा संशोधित किया गया था (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ए' में निदेशक आयुर्वेद के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं: -
- (i) सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड या भारतीय चिकित्सा संकाय से आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में डिग्री (कम से कम पांच साल के नियमित पाठ्यक्रम के साथ)।
- (ii) संस्कृत का ज्ञान कम से कम मध्यम (बनारस) या विशारद (पंजाब) या इसके समकक्ष योग्यता तक;
- (iii) न्यूनतम बुनियादी योग्यता प्राप्त करने के बाद, जिम्मेदारी के कुछ प्रशासनिक पद पर सात साल का न्यूनतम

अन्भव।

सरकार या एमबीबीएस द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड या भारतीय चिकित्सा संकाय से यूनानी चिकित्सा प्रणाली में डिग्री (कम से कम पांच साल के नियमित पाठ्यक्रम के साथ)

निदेशक आयुर्वेद के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 27 दिसंबर, 1985 को डेली ट्रिब्यून में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। अनुलग्नक पी-आई उपरोक्त विज्ञापन की प्रति है, जिसमें उपरोक्त योग्यताओं को निर्धारित किया गया है। कुल चालीस आवेदन प्राप्त हुए। 26 अप्रैल, 1986 को आठ उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया गया था। उत्तरदाता संख्या 3 डॉ. पी. के. जैन को चुना गया और बाद में नियुक्त किया गया डॉ. पी. के. जैन की योग्यताएँ रिट याचिकाओं में निम्नान्सार बताई गई हैं: -

Dr. Sham Lai v. State of Haryana and. others (A. L. Bahri, J.)

Matric	Punjab University Solan.	II Div. 415	14th May 1955	English Hindi.
Prabhakar	Punjab University Chandiga:h.	III Div. 311/650 (47.8%)	2nd Jan. 1964	Hindi Honours
B.A.Part-I	Pinjabi University Patiala.	1 92 /550 (35%)	12th Nov. Sanskrit	
G.A.M.S. (Ayurvedic Acharya)	Govt. Ayurvedic College Patial .	_	Nev. 1960) Ayurvedic
M.A.H.M. (Surgery and	Gujrat Ayurveda Jamunagar	II Div. 66/1175	June, 1968	8 Ayurveda
Master of Ayurvedic Medicines)	University	(56.7%)		

(4) याचिकाकर्ता की ओर से चुनौती यह है कि आयुर्वेदिक कॉलेज, पिटयाला से डॉ पी के जैन द्वारा प्राप्त जी ए एम एस की डिग्री हिरयाणा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आगे यह दावा किया जाता है कि डॉ. पी. के. जैन ने पाँच साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद यह डिग्री प्राप्त नहीं की थी। डॉ. पी. के. जैन के पास संस्कृत के ज्ञान की अन्य आवश्यक योग्यताएं भी नहीं थीं। उनके पास अपेक्षित अनुभव भी नहीं था डॉ. पी. के. जैन द्वारा प्राप्त डिग्री के संबंध में हिरयाणा राज्य को गुमराह करके यह नियुक्ति सुनिश्चित की गई थी। आरोप है कि पंजाब स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने नवंबर, 1960 में आयोजित परीक्षा के आधार पर डिग्री जारी की थी। वास्तव में, वर्ष 1960 में ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और वास्तव में तब संकाय अस्तित्व में नहीं था। इस संकाय की स्थापना पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली संकाय अधिनियम, 1963 के तहत की गई थी, जो 26 जनवरी, 1964 को जारी अधिसूचना के अनुसार लागू ह्आ था। इससे पहले 17 जनवरी, 1967 की पंजाब सरकार की अधिसूचना के तहत भारतीय चिकित्सा पंजाब संकाय की स्थापना की गई थी। सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए यह संकाय 7 जनवरी, 1961 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार, जनवरी, 1961 या उससे पहले कोई परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह गलत तरीके से कहा गया था कि डिग्री अन्लग्नक पी-3 नवंबर, 1960 में संकाय द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर जारी की गई थी। यह डिग्री वास्तव में वर्ष 1968 में जारी की गई थी। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने 1961 के बाद से उपरोक्त संकाय की डिग्री को मान्यता दी। इससे पता चलता है कि इस संकाय द्वारा पहले जारी की गई डिग्री को मान्यता नहीं दी गई थी। संकाय वर्ष 1957,1958 और 1959 से डिग्री जारी कर रहा था, जैसा कि अन्लग्नक पी-4 से दिखाया गया है। ऐसी डिग्री को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार के दिनांक 6 मई, 1985 के पत्र, अन्लग्नक पी-5 से स्पष्ट होगा। इससे पहले, एक व्यक्ति ग्रचरण सिंह बेदी ने डॉ. पी. के. जैन की योग्यता के आधार पर 1981 की सिविल रिट याचिका संख्या 4114 दायर की थी। पंजाब राज्य द्वारा अपने लिखित बयान में लिया गया रुख यह था कि ऐसी डिग्री को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के तहत मान्यता नहीं दी गई थी। 14 ज्लाई, 1983 को हरियाणा राज्य ने पंजाब संकाय द्वारा जारी जी ए एम एस डिग्री को मान्यता देते हुए एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक पी-6 है। हालाँकि, बाद में, इस अधिसूचना को 5 नवंबर, 1984 को हटा दिया गया-अधिसूचना अन्लग्नक पी-7 के माध्यम से। डॉ. पी. के. जैन को मधायम (बनारस) या विशारद तक संस्कृत का ज्ञान नहीं है (Punjab). उन्होंने बी ए भाग I में संस्कृत को एक विषय के रूप में लिया था। पंजाब विश्वविदयालय के पत्र के अन्सार संस्कृत में वी. एल. ए. विशारद या मध्यम के बराबर है। इससे पहले डॉ. पी. के. जैन और एक अन्य ने आयुर्वेद नारायण के निदेशक के रूप में डॉ. आर. दयालू की नियुक्ति को चुनौती देते हुए 1980 की रिट याचिका संख्या 4139 दायर की थी। हरियाणा राज्य ने डॉ. आर. दयालू की नियुक्ति का बचाव करते ह्ए अपने लिखित बयान में कहा कि डॉ. पी. के. जैन के पास संस्कृत का निर्धारित ज्ञान और अपेक्षित अनुभव नहीं था। उक्त रिट याचिका में डॉ. पी. के. जैन का दावा था कि उन्होंने सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटियाला से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह पंजाब राज्य संकाय से स्नातक थे। डॉ. पी. के. जैन का आवेदन नियत तिथि के बाद प्राप्त किया गया था। प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका को च्नौती देने के लिए अलग-अलग लिखित बयान दायर किए। पंजाब स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, प्रतिवादी नंबर 2 ने यह रुख अपनाया कि फैकल्टी का गठन किया गया था-पंजाब सरकार की 27 जनवरी, 1961 की अधिसूचना के अनुसार और 14 अप्रैल, 1960 से जी ए एम एस की योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। संकाय ने नवंबर, 1960 में डॉ. पी. के. जैन और अन्य की परीक्षा वैध रूप से आयोजित की। डॉ. पी. के. जैन ने रोल नंबर 175 के तहत परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अंतिम परीक्षा

भी उतीर्ण की और इस प्रकार उन्हें जी ए एम एस की डिग्री सही ढंग से प्रदान की गई। इस तरह की डिग्री को पंजाब राज्य आय्रवेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली अधिनियम, 1963 की धारा 21 के तहत मान्य किया गया था। पंजाब संकाय के गठन से पहले, परीक्षाएं पंजाब आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटियाला के परीक्षक मंडल द्वारा आयोजित की जाती थीं। इस तरह के कार्यों को संकाय के गठन के बाद सौंपा गया था और परीक्षक मंडल ने काम करना बंद कर दिया था। छूटे ह्ए उम्मीदवारों को परीक्षक मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर डिग्री प्रदान की गई। इस संबंध में अन्लग्नक आर/2/3 प्रस्त्त किया गया था। जी. ए. एम. एस. के डॉ. पी. के. जैन के पास जो डिग्री है, वह भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के तहत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। हरियाणा राज्य ने अपने लिखित बयान में आगे कहा कि डॉ. पी. के. जैन ने जी. ए. एम. एस. पाठ्यक्रम में दो वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था जैसा कि अनुलग्नक आर-एल से स्पष्ट है। डॉ. पी. के. जैन के जी. ए. एम. एस. की डिग्री के संबंध में इसी तरह का जवाब दाखिल किया गया था जैसा कि संकाय द्वारा किया गया था। डॉ. पी. के. जैन को 10

मई, 1979 से 15 मई, 1986 की अवधि तक सहायक निदेशक प्रभारी के रूप में भी अनुभव प्राप्त ह्आ, 1980 की पूर्व रिट याचिका संख्या 4139 दाखिल करने के बाद, उन्होंने इसके बाद निदेशक आयुर्वेदिक के पद के लिए पांच साल का अनुभव प्राप्त किया। डॉ. शाम लाल याचिकाकर्ता के इस स्वीकारोक्ति का संदर्भ दिया गया था कि पैराग्राफ 22 में उन्हें प्रशासनिक पक्ष का कोई अनुभव नहीं था। डॉ. पी के जैन का आवेदन 16 जनवरी, 1966 को प्राप्त ह्आ था। राज्य सरकार ने इस पद को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया था और इसका विज्ञापन किया था। भारत सरकार से भी नामों का एक पैनल भेजने का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत पैनल में डॉ. पी. ए. जैन का नाम शामिल था जिस पर विचार किया गया था। डॉ. पी. ए. जैन निदेशक पद के लिए योग्य थे। डॉ. पी ए जैन ने अपने लिखित बयान में आरोप लगाया कि वह केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सहायक निदेशक प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे और उनका नाम निदेशक आयुर्वेद के पद के लिए पैनल में भेजा गया था। उनके नाम पर विधिवत विचार किया गया। उनके पास नवंबर, 1960 में भारतीय चिकित्सा पंजाब के संकाय से आवश्यक योग्यता,

जी. ए. एम. एस. की डिग्री थी। इस संकाय को 27 जनवरी, 1961 को जारी एक अधिसूचना द्वारा 14 अप्रैल, 1960 से योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। उन्होंने 9 फरवरी, 1961 को इंटर्नशिप पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। चूंकि पहला दीक्षांत समारोह फरवरी, 1968 में आयोजित किया गया था, इसलिए उन्हें 1968 में डिग्री से सम्मानित किया गया था। पंजाब राज्य संकाय द्वारा प्रदत्त जी. ए. एम. एस. पाठ्यक्रम (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) की डिग्री मान्य थी। उनके पास संस्कृत के ज्ञान की आवश्यक योग्यताएँ भी थीं। उन्होंने जी ए एम एस पाठ्यक्रम में दो साल तक संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने अनिवार्य विषयों में से एक के रूप में संस्कृत के साथ बी ए भाग-1 भी पास किया। केंद्र सरकार ने बनारस विश्वविद्यालय के माध्यम के समत्ल्य संस्कृत के साथ उच्च माध्यमिक घोषित किया था क्योंकि इसके विपरीत उन्होंने संस्कृत के साथ बीए भाग-। उतीर्ण किया था जो उच्च माध्यमिक से अधिक है। इसके अलावा, उन्होंने 1964 में पंजाब विश्वविद्यालय की प्रभाकर परीक्षा भी संस्कृत को अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में उत्तीर्ण की। उनके पास आवश्यक अनुभव था जैसा कि लिखित कथन के पैराग्राफ 20 में बताया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा उनके द्वारा लिए गए रुख को दोहराते हुए प्रत्युत्तर दायर किया गया था।

- (5) रिट याचिका में मुख्य चुनौती डॉ. पी. के. जैन की आवश्यक योग्यता, विशेष रूप से पंजाब के संकाय द्वारा उनके पक्ष में दिए गए जी. ए. एम. एस. पाठ्यक्रम की डिग्री के बारे में है। तर्क यह है कि संकाय अपने गठन से पहले कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता था और न ही करता था, हालांकि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ शक्ति दी गई थी और डॉ पी के जैन के पक्ष में संकाय द्वारा जारी जी ए एम एस पाठ्यक्रम की डिग्री अमान्य है, क्योंकि इसमें पांच साल का पाठ्यक्रम शामिल नहीं था। ये विवाद गुणों से रहित हैं। पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली संकाय अधिनियम, 1963 की धारा 21 (1) और (2) निम्नानुसार है: -
- "(1) भारतीय चिकित्सा संकाय, पंजाब को पंजाब सरकार, स्वास्थ्य विभाग, अधिसूचना संख्या एचबीआईआई-24 (15) 1961/3607, दिनांक 27 जनवरी, 1961 के अधीन अधिसूचित और गठित किया गया है, जब तक कि इस

अधिनियम के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार संकाय की स्थापना और गठन नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत स्थापित और गठित संकाय माना जाएगा।

(2) भारतीय चिकित्सा संकाय, पंजाब द्वारा इस प्रकार अधिसूचित और गठित कोई भी कार्य या कोई कार्रवाई (जिसमें कोई नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, निर्देश या निर्देश जारी, उप-कानून या प्रपत्र तैयार, योग्यता या आयोजित अन्य परीक्षाएं, प्रशिक्षण या निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम, मान्यता प्राप्त या संबद्ध संस्थान, निर्धारित या लगाए गए शुल्क या वजीफे, पदक, पुरस्कार या पुरस्कार इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया समझा जाएगा और तदनुसार तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्रवाई या कार्रवाई दवारा प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता है।

इस संकाय का औपचारिक रूप से गठन जनवरी, 1961 में अधिसूचना द्वारा किया गया था और इसे अप्रैल, 1960 से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। 1963 में अधिनियम के लागू होने के बाद से, एक संक्रमणकालीन अवधि थी जिसके लिए संकाय परीक्षाएं आयोजित कर रहा था और डिग्री जारी कर रहा था जिन्हें क़ान्न द्वारा मान्य किया गया था। उस अवधि से पहले परीक्षक मंडल परीक्षा आयोजित कर रहा था और अप्रैल, 1960 के बाद परीक्षक मंडल दवारा ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। नवंबर, 1960 में संकाय द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। भले ही संकाय ने बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर डिग्री जारी की हो, कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। अंतिम परीक्षा संकाय दवारा आयोजित की गई थी और जी ए एम एस की डिग्री जारी की गई थी। जी. ए. एम. एस. के पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम पर विचार करते समय उस अवधि को ध्यान में रखा जाना था जिसके लिए डॉ. पी. के. जैन और अन्य ने संकाय के गठन से पहले अध्ययन किया था। इसी तरह का प्रश्न ए एन शास्त्री बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था (1). ए एन शास्त्री को पंजाब सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था

और उसके बाद उन्हें उप निदेशक और बाद में निदेशक के रूप में निय्क्त किया गया था। आय्र्वेद निदेशक के पद के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड या भारतीय चिकित्सा संकाय के आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों में पांच साल या उससे अधिक के नियमित पाठ्यक्रम की डिग्री योग्यता थी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि श्री ए. एन. शास्त्री ने एक नियमित छात्र के रूप में पढा था और शेष दो वर्षों के लिए, वह कथित रूप से एक योग्य प्रोफेसर के अधीन थे, हालांकि यह नियमित संस्थान में अध्ययन नहीं था। पाँच साल तक पढ़ने के बाद उन्होंने वह डिग्री प्राप्त की थी जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने डिग्री को वैध माना। जैसा कि पहले ही कहा जा च्का है कि डॉ. पी. के. जैन को संकाय द्वारा जी. ए. एम. एस. की डिग्री प्रदान की गई थी जो वैध है। इसके अलावा, न्यायालय द्वारा शैक्षणिक मामलों पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी डी गोविंदा राव और अन्य मामलों में कहा था (2). इसने शैक्षणिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए न्यायालय की शक्तियों के संबंध में सामान्य टिप्पणियां कीं। पैराग्राफ 12 में यह निम्नान्सार देखा गया था:-

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या उच्च न्यायालय के लिए बोर्ड की राय पर मतभेद करना उचित होगा, जबकि यह काफी संभावना थी कि बोर्ड ने यह विचार लिया होगा कि डरहम विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री, जो अपीलकर्ता संख्या 2 ने प्राप्त की थी. एक भारतीय विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री के बराबर थी। प्रश्नों (एसआईसी) का यह पहलू विश्द्ध रूप से एक अकादमिक मामले के लिए है और न्यायालय स्वाभाविक रूप से एक निश्चित राय व्यक्त करने में संकोच करेंगे, विशेष रूप से जब यह प्रतीत होता है कि विशेषज्ञ मंडल संत्ष्ट था कि अपीलार्थी संख्या 2 ने पहली योग्यता को पूरा किया था। (6) जब संकाय ने जी ए एम एस 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की डिग्री जारी की थी, जिसे अधिनियम की धारा 21 के तहत मान्य माना जाता है, तो इसकी वैधता को रिट याचिका में च्नौती नहीं दी जा सकती है। विधि के संचालन द्वारा, संकाय द्वारा जारी की गई डिग्री को वैध के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस डिग्री को भारतीय चिकित्सा परिषद दवारा मान्यता प्राप्त है। अतः इसे ही वैध माना जाना चाहिए। इस संबंध में डॉ. बी. एल. असावा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जाएगा (3). यह भारत में क़ानून द्वारा विधिवत स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री का मामला था, जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दी गई थी। इस तरह की डिग्री को चिकित्सा परिषद अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया था, यह माना गया था कि इसे पूरे देश में मान्य माना, स्वीकार किया और माना जाना था (Para-11). भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुसूची की मद संख्या 83 के अनुसार, जी ए एम एस डिग्री को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दी गई है और पूरे देश में, इसे मान्य के रूप में स्वीकार किया जाना है।

(7) इस तर्क में कोई बल नहीं है कि पद का पुनः विज्ञापन किया गया था और उन उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए था जिन्होंने पहले अपने आवेदन जमा किए थे। ऊपर बताए गए तथ्यों के क्रम के अनुसार, केंद्र सरकार से नामों का एक पैनल भी आमंत्रित किया गया था और डॉ. पी. के. जैन का नाम ऐसे पैनल में शामिल किया गया था। यदि पैनल की सिफारिशें आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के एक दिन बाद प्राप्त की गई थीं, तो पैनल में शामिल नामों को केवल उसी आधार पर अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे उम्मीदवार अपने नाम देर से जमा करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे। केवल निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन जमा करने से ऐसे व्यक्तियों को इस तरह से निय्क्त होने का अधिकार नहीं मिलता है। डॉ. स्रिंदर नाथ जोशी बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग और अन्य (4) इस न्यायालय की खंड पीठ दवारा निर्णय लिया गया एक ऐसा मामला था जिसमें लोक सेवा आयोग को संशोधित नियमों के अन्सार पद का पुनः विज्ञापन करने का निर्देश दिया गया था। यह देखा गया कि नियोक्ता पद की पात्रता के लिए योग्यता तय करने में सक्षम था और किसी भी द्रभावना के अभाव में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यह निम्नानुसार देखा गयाः

"यदि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं थी जिसे लोक सेवा आयोग द्वारा भी चुना गया था, तो आयोग द्वारा चयन किए जाने से पहले नियुक्ति के मामले पर प्नर्विचार करने के लिए सरकार के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती थी, जैसा कि वर्तमान मामले में है। हम उपरोक्त तर्कों के संबंध में विद्वान वकील के साथ एक हैं।यहां तक कि पहले सिद्धांतों पर, यह नियोक्ता को अपने दवारा भरे जाने वाले एक निश्चित पद की पात्रता के लिए योग्यता के बारे में निर्णय लेना है। यदि किसी निश्चित समय सरकार किसी प्रामाणिक कारण से पात्रता आवश्यकताओं में परिवर्तन करना चाहती है, तो यह लोक सेवा आयोग का काम नहीं है कि वह इस आधार पर ऐसा कोई परिवर्तन प्रस्तावित करे कि इससे उनकी स्वतंत्रता कमजोर होगी। जैसा कि पहले ही देखा जा च्का है कि विचाराधीन पद पर चयन के लिए अभी तक साक्षात्कार नहीं हुए थे। दुर्भावना के किसी भी आरोप के अभाव में, हम प्रतिवादी संख्या 1 के लिए पद के पुनः विज्ञापन के लिए सरकार द्वारा की गई ताजा मांग का पालन नहीं करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा च्का है, इस पद का विज्ञापन पहले 1981 में और फिर 1982 में दो बार किया गया था, लेकिन उन अवसरों पर कोई योग्य/उपय्क्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था। ये तथ्य बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अधिकतम आय् सीमा बढ़ाकर एक नया प्रयास करने में सरकार के नेक इरादों का

संकेत हैं।

- (8) इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दलजीत सिंह मिन्हास अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5) के मामले में निम्निलिखित रूप में अभिनिधीरित किया:-"इसलिए, यिद नियोक्ता राज्य स्पष्ट रूप से उस स्रोत के लिए एक उचित वर्गीकरण का संकेत दे सकता है जिसके लिए उसने स्वयं को सार्वजनिक पदों के लिए चुनिंदा व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है, तो अनुच्छेद 16 के किसी भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर इसके साथ कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद भी केंद्र सरकार से योग्य उम्मीदवारों के नामों का पैनल भेजने के लिए संपर्क किया गया था, ऐसा करने की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं थी।
- (9) हालांकि उत्तरदाताओं की ओर से, लिखित बयानों में यह समझाया गया है कि डॉ पी के जैन के पास अपेक्षित प्रशासनिक अनुभव था, हालांकि, अनुभव के मामले में कुछ हद तक कमी होने पर भी, उनकी नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है आयुर्वेद निदेशक के रूप में, क्योंकि इस अविध के दौरान उन्होंने आवश्यक अनुभव प्राप्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राम सरूप बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य 1978 (2) सेवा विधि रिपोर्टर 836 में ऐसी कार्रवाई को मंजूरी दी। उस स्थिति में अनुभव पूरा होने की तारीख से नियुक्ति नियमित मानी जाती थी।

(10) विचार के लिए एक अन्य प्रश्न डॉ. पी. के. जैन के पास संस्कृत के अपेक्षित ज्ञान के बारे में है। नियमों के तहत जो आवश्यक है वह कम से कम मध्यमा (बनारस) या विशारद (पंजाब) तक संस्कृत का ज्ञान या इसके समकक्ष योग्यता है, नियम यह नहीं कहता है कि व्यक्ति के पास ऊपर उल्लिखित डिग्री या इसके समकक्ष होना चाहिए। आवश्यकता संस्कृत का ज्ञान है और मानक निर्धारित किया गया है।इसका कोई परिणाम नहीं है कि संस्कृत विषय के साथ भाग-1 को मध्यमा (बनारस) या विशारद के बराबर नहीं बनाया गया है. डॉ. पी. के. जैन ने संस्कृत के साथ बी. ए. पार्ट-1 पास करने के अलावा जी. ए. एम. एस. पाठ्यक्रम में दो साल तक संस्कृत का भी अध्ययन किया था। पुनः यह कहा जा सकता है कि यह नियुक्ति प्राधिकरण का दायित्व था कि वह डॉ. पी. के. जैन के पास मौजूद ज्ञान को मध्यम (बनारस) या विशारद (पंजाब) के मानक या इसके समकक्ष योग्यता के लिए पर्याप्त माने। अदालतें ऐसे मामलों में अपील नहीं कर सकतीं। जैसा कि मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी. डी. गोविंदा राव और

- अन्य (6) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, जहां यह प्रश्न था कि क्या विदेशी डिग्री भारतीय विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री के समतुल्य है, यह देखा गया कि ऐसा प्रश्न विशुद्ध रूप से एक शैक्षणिक मामला था और न्यायालय स्वाभाविक रूप से एक निश्चित राय व्यक्त करने में संकोच करेंगे, विशेष रूप से जब विशेषज्ञ मंडल किसी विशेष विदेशी डिग्री को सहसमतुल्य मानता है।
- (11) हालांकि औपचारिक रूप से संकाय का गठन 1961 में एक अधिसूचना के तहत किया गया था, लेकिन इसे पहले तैयार किया गया था जब परीक्षकों के बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया था और 14 अप्रैल, 1960 को परीक्षा आयोजित करने के लिए संकाय का गठन किया था। मद संख्या 8 एक प्रस्ताव है कि भारतीय चिकित्सा संकाय बनाया जाए और दोनों बोर्डों के कार्यों का शिक्षण भाग उसे सौंपा जाए और इसका एक कार्य राज्य में जी ए एम एस परीक्षाओं का संचालन करना है। इस प्रस्ताव में संकाय का गठन भी दिया गया था। संकाय का सचिव भी नियुक्त किया गया था। आगे यह संकल्प लिया गया कि संकाय परीक्षाओं के संचालन के लिए चार सदस्यों की एक परीक्षा उप-समिति नियुक्त कर

सकता है। यह वह संकाय है जिसे अंततः ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 21 के तहत अधिसूचित और मान्यता दी गई थी। यहां तक कि बोर्ड ऑफ एक्जामिनर्स द्वारा आयोजित परीक्षा और जी. ए. एम. एस. की फैकल्टी डिग्री द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षा के आधार पर भी डॉ. पी. के. जैन को दी गई डिग्री की तरह ही दी गई थी, वही मान्य है। 1970 के केंद्रीय अधिनियम के तहत पंजाब संकाय द्वारा दी गई जी. ए. एम. एस. की डिग्री को मान्यता दी गई है-मद संख्या 83 के अनुसार। इस तरह की मान्यता दी गई है-मद संख्या 83 के अनुसार। इस तरह की मान्यता पूरे देश में मान्य होगी जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है। सबसे पहले डिग्री को मान्यता देने और फिर घटाने के हिरयाणा राज्य के कार्य का कोई परिणाम नहीं है।

(12) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इन रिट याचिकाओं को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

आर एन आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक Dr. Sham Lai v. State of Haryana and. others (A. L. Bahri, J.)

उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

> अंकिता गुप्ता प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी बिलासपुर यमुनानगर